

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर  
प्रार्थना पत्र संख्या 103 / 2016

बैंक ऑफ बडौदा शाखा, सावित्री गर्ल्स स्कूल अजमेर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम  
श्री जाकिर मौहम्मद खान पुत्र आस मौहम्मद  
एस-2-56-57, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पर्वतपुरा, माखुपुरा,  
अजमेर जिला-अजमेर

श्री युयुफ खान पुत्र श्री आस मौहम्मद  
सी-86, रीको आवासीय कॉलोनी, पर्वतपुरा, माखुपुरा अजमेर जिला-अजमेर  
.....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन  
आफ फाईनेनशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :-

सुनील विजय

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 15.02.2017.

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी श्री जाकिर मौहम्मद खान पुत्र आस मौहम्मद एस-2-56-57, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, पर्वतपुरा, माखुपुरा, अजमेर जिला-अजमेर एवं श्री युयुफ खान पुत्र श्री आस मौहम्मद सी-86, रीको आवासीय कॉलोनी, पर्वतपुरा, माखुपुरा अजमेर जिला-अजमेर राजस्थान को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्लॉट नं0 एस-2-56, एस-2-57, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन पर्वतपुरा, माखुपुरा, अजमेर जिला-अजमेर स्थित सम्पति को बन्धक रखकर दिनांक 20.04.2011 को राशि रूपये-7,80,000/- (अक्षरे सात लाख अस्सी हजार रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण भुगतान करने में दिनांक 30.06.2016 को डिफाल्टर होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.07.2016 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये-08,06,070/- (अक्षरे आठ लाख छः हजार सत्तर रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को सूचित किया गया। अप्रार्थी0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित प्रार्थी अभिभाषक द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी0 ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त

561



जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

रहन रखी सम्पत्ति वग अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे। धारा 14 के तहत कार्यवाही दौरान ऋणी/गारण्टर एवं तृतीय पक्ष को नोटिस जारी करने एवं सुनने की आवश्यकता नहीं है तथा प्रार्थना पत्र में एक माह के भीतर आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 14.07.2016 को धारा 13(2) का जारी किया रजिस्टर्ड नोटिस की प्राप्ति रसीद (ए.डी.) की फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं0 एस-2-56, एस-2-57, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन पर्वतपुरा, माखुपुरा, अजमेर जिला-अजमेर स्थित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 15.02.2017 को सुनाया गया।



15/02/17  
(गौरव गोयल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
जिला अजमेर